



30/8/15  
25-8-15

क्रमांक 3672/10546/2014/रास/यू-5

रायपुर, दिनांक 20 /08/2015

प्रति,

कुलपति,  
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,  
नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई,  
जिला-दुर्ग (छ.ग.) - 490 009.

विषय :- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-14 एवं अध्यादेश क्रमांक-15 में संशोधन बाबत।

सन्दर्भ :- विश्वविद्यालय पत्र क्र./छगस्वावितविवि/प्रशा/2015/1910, दिनांक 24.07.2015.

सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 39 (2) में निहित प्रावधानानुसार, कार्य-परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 30.06.2015 द्वारा अनुमोदित अध्यादेश क्रमांक-14 (Ordinance for B.E. 4 Years Degree Course) के Clause No. 10.2 : ROLL NO. तथा अध्यादेश क्रमांक-15 (Ordinance for B.Arch. 5 Years Degree Course) के Clause No. 9.0 : ROLL NO. में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को माननीय कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा यथानुरूप अनुमोदन किया गया, जो दिनांक 20.08.2015 से प्रवृत्त होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति  
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी  
विश्वविद्यालय, भिलाई के आदेशानुसार

  
( आर.के. स्वास्तिक )

राज्यपाल के अवर सचिव  
छत्तीसगढ़

पृष्ठा. क्रमांक / /10546/2014/रास/यू-5  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक /08/2015

कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)-490 009 को सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


राज्यपाल के अवर सचिव  
छत्तीसगढ़


300

**CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY**  
**ORDINANCE No. 14 (Ordinance for B.E. 4 Years Degree Course) : Clause No. 10.2**

**2. Proposed Amendment:**

10.2 ROLL NO.: Every student will be allotted a unique roll number in the following format till he completes the degree program.



माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति  
द्वारा अनुमोदित  
  
राज्यपाल के अवर सचिव  
राजभवन, रायपुर

(G/R Sahu) -15  
  
Registrar


59

**CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY**  
**ORDINANCE No. 15 (Ordinance for B.Arch. 5 Years Degree Course) : Clause No. 9.0**

**2. Proposed Amendment:**

9.0 ROLL NO.: Every student will be allotted a unique roll number in the following format till he completes the degree program.

9 999 999 99 999



माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति  
द्वारा अनुमोदित  
राज्यपाल के उपर-संभव  
राजभवन, रायपुर

  
(R. K. Sahu)  
Registrar